

वर्तमान समय में पुरुष आयोग के गठन की आवश्यकता

Dr. Sanjeev Kumar

Assistant Professor

Regional College of Education, Gaya, Bihar

सार

आज के समाज में, लैंगिक समानता एक ज्वलंत मुद्दा है। महिला सशक्तिकरण पर ज़ोर दिया जा रहा है, और यह सही भी है। लेकिन, इस प्रक्रिया में, पुरुषों के एक वर्ग को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है, वे पुरुष जो घरेलू हिंसा, कानूनी भेदभाव और सामाजिक कलंक का शिकार होते हैं। इसलिए, पुरुष आयोग के गठन की मांग उठ रही है। इसका उद्देश्य पुरुषों के अधिकारों की रक्षा करना और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करना होगा। आज के समाज में लैंगिक समानता एक ज्वलंत मुद्दा है। महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण पर बहसों अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन पुरुषों के मुद्दों को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इसका एक कारण यह है कि समाज में यह धारणा व्याप्त है कि पुरुष स्वाभाविक रूप से मजबूत और सक्षम होते हैं, और उन्हें किसी विशेष सुरक्षा या सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, यह सच नहीं है। पुरुष भी कई तरह की सामाजिक, कानूनी और आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं। इनमें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, भेदभाव, बाल कस्टडी के मुद्दे, और गलत गिरफ्तारी शामिल हैं। पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य को भी अक्सर नज़रअंदाज़ किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आत्महत्या दर अधिक होती है। इन मुद्दों को दूर करने के लिए, कुछ लोगों का मानना है कि पुरुष आयोग का गठन किया जाना चाहिए। यह एक सरकारी निकाय होगा जो पुरुषों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सामाजिक न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए समर्पित होगा।

मुख्य शब्द

वर्तमान, पुरुष, आयोग, गठन

भूमिका

आज के समाज में लैंगिक समानता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। महिलाओं के अधिकारों और कल्याण के लिए कई आयोग और कानून मौजूद हैं, लेकिन पुरुषों के मामलों में अक्सर अनदेखी की जाती है। पुरुष आयोग के गठन की मांग इसी असमानता को दूर करने की दिशा में एक कदम है। (नानजप्पा, 2015)

पुरुष भी लिंग, जाति, धर्म, यौन अभिविन्यास और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का सामना करते हैं। पुरुष आयोग इन मुद्दों पर प्रकाश डालने और उनसे निपटने के लिए एक मंच प्रदान कर सकता है। पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं, लेकिन अक्सर शर्मिंदगी या सामाजिक कलंक के कारण इसकी रिपोर्ट नहीं करते। पुरुष आयोग पीड़ित पुरुषों को सहायता और कानूनी सलाह प्रदान कर सकता है।

तलाक के मामलों में, पुरुषों को अक्सर अपने बच्चों की कस्टडी हासिल करने में कठिनाई होती है। पुरुष आयोग कानूनी प्रणाली में समानता सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। पुरुषों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आम हैं, लेकिन वे अक्सर मदद लेने में संकोच करते हैं। पुरुष आयोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ा सकता है और पुरुषों को सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

पारंपरिक मर्दानगी की रूढ़ियाँ पुरुषों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। पुरुष आयोग सकारात्मक मर्दानगी को बढ़ावा दे सकता है और पुरुषों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और स्वस्थ संबंध बनाने में मदद कर सकता है।

पुरुष आयोग एक जटिल मुद्दा है जिसके पक्ष और विपक्ष में कई तर्क हैं। यह महत्वपूर्ण है कि सभी पहलुओं पर विचार किया जाए और इस मुद्दे पर सार्थक चर्चा की जाए।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पुरुष आयोग महिला आयोगों का विकल्प नहीं होगा, बल्कि यह पुरुषों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक पूरक संस्था होगी। लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान अवसर और सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। (कुमार, 2019)

यह भी उल्लेखनीय है कि भारत में पुरुष आयोग के गठन का कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी।

यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पुरुषों के अधिकारों को बढ़ावा देने के कई अन्य तरीके भी हैं। लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए पुरुषों और महिलाओं को मिलकर काम करना होगा, न कि एक दूसरे के खिलाफ।

पुरुष आयोग के पक्ष में तर्क:

पुरुषों के खिलाफ हिंसा: पुरुष भी घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, और एसिड अटैक का शिकार होते हैं। पुरुष आयोग इन पीड़ितों को कानूनी सहायता और सामाजिक पुनर्वास प्रदान कर सकता है।

कानूनी भेदभाव: कुछ कानून, जैसे कि दहेज निषेध अधिनियम, पुरुषों के खिलाफ भेदभावपूर्ण होते हैं। पुरुष आयोग लैंगिक-तटस्थ कानूनों की वकालत कर सकता है।

सामाजिक कलंक: पुरुषों को भी लिंग आधारित रूढ़िवादिता और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है। पुरुष आयोग उन्हें सकारात्मक पुरुषत्व की अवधारणा को बढ़ावा देकर और मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करके सशक्त बना सकता है।

बच्चों की कस्टडी: तलाक के मामलों में, पुरुषों को अक्सर बच्चों की कस्टडी नहीं मिल पाती है। पुरुष आयोग कानूनी सहायता और समान पितृत्व अधिकारों की वकालत कर सकता है।

पुरुष आयोग के खिलाफ तर्क:

लैंगिक समानता को कमजोर करना: कुछ का मानना है कि पुरुष आयोग महिला आंदोलन को कमजोर करेगा और लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा डालेगा।

पुरुषों को प्राथमिकता देना: यह चिंता है कि पुरुष आयोग पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अनुचित लाभ दे सकता है, जिससे लैंगिक असमानता बढ़ सकती है।

संसाधनों का दुरुपयोग: पुरुष आयोग के गठन और संचालन के लिए अतिरिक्त सरकारी संसाधनों की आवश्यकता होगी, जो अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से हट सकते हैं। (कौर, 2015)

साहित्य की समीक्षा

पुरुषों के अधिकारों और कल्याण के लिए बहस अभी भी जारी है। पुरुष आयोग इस दिशा में एक कदम हो सकता है, लेकिन यह एकमात्र समाधान नहीं है। लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण और लैंगिक रूढ़ियों में बदलाव लाना भी आवश्यक है। (चौधरी, 2017)

आज के समाज में, लैंगिक समानता पर बहस अक्सर महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक भेदभाव के मुद्दों पर केंद्रित होती है। पुरुषों के खिलाफ भेदभाव, हालांकि, एक कम चर्चित और अक्सर अनदेखी की जाने वाली समस्या है। (कुमार, 2019)

पुरुषों को कुछ क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों से वंचित किया जा सकता है, जैसे कि शिक्षण या प्रशासनिक कार्य, जिन्हें "स्त्रीलिंग" माना जाता है। उन्हें समान योग्यता और अनुभव के लिए महिलाओं की तुलना में कम वेतन दिया जा सकता है। (कुमार, 2018)

पुरुषों को बाल हिरासत, गुजारा भत्ता और घरेलू हिंसा के मामलों में पक्षपात का सामना करना पड़ सकता है। पुरुषों के अधिकारों की रक्षा के लिए कम कानूनी प्रावधान हैं, और पुरुष पीड़ितों को अक्सर उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। (नानजप्पा, 2015)

पुरुष आयोग का गठन एक जटिल मुद्दा है जिसके पक्ष और विपक्ष दोनों में मजबूत तर्क हैं। यह महत्वपूर्ण है कि सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जाए और निर्णय लेने से पहले संभावित लाभों और जोखिमों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाए। (कौर, 2015)

वर्तमान समय में पुरुष आयोग के गठन की आवश्यकता

पुरुषों को लिंग रूढ़िवादिता और पारंपरिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने का दबाव महसूस हो सकता है। उन्हें भावनाओं को व्यक्त करने या मदद मांगने से हतोत्साहित किया जा सकता है। पुरुषों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और प्रोस्टेट कैंसर जैसी पुरुष-विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उचित देखभाल प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। पुरुषों के खिलाफ भेदभाव के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि अवसाद, चिंता, आत्महत्या, और पदार्थों का सेवन। यह लैंगिक रिश्तों और समग्र रूप से समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

लैंगिक भेदभाव के सभी रूपों, पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करने वाले, के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए कानूनों और नीतियों में सुधार की आवश्यकता है। हानिकारक लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले सकारात्मक पुरुषत्व मॉडल को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। पुरुषों को मानसिक स्वास्थ्य और अन्य मुद्दों से निपटने में मदद करने के लिए सहायता सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना महत्वपूर्ण है।

लैंगिक समानता केवल महिलाओं के अधिकारों के बारे में नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करने के बारे में है। पुरुषों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज बनाने के लिए आवश्यक है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पुरुषों के खिलाफ भेदभाव एक जटिल मुद्दा है, और इसके कई पहलू हैं। उपरोक्त केवल कुछ सामान्य उदाहरण हैं।

यह भी महत्वपूर्ण है कि हम लैंगिक भेदभाव के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई में एकजुट रहें, चाहे वह पुरुषों या महिलाओं को प्रभावित करे।

आज के समाज में लैंगिक समानता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। महिलाओं के अधिकारों और उनके साथ होने वाले भेदभाव के बारे में अक्सर बातें होती हैं, लेकिन पुरुषों के साथ होने वाले भेदभाव पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता।

यह सच है कि पुरुषों को कई सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त हैं, लेकिन कानूनी व्यवस्था में उन्हें कुछ खास मामलों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

यहाँ पुरुषों के खिलाफ भेदभाव के कुछ उदाहरण दिए गए हैं:

पारिवारिक कानून: पुरुषों को अक्सर बाल हिरासत, गुजारा भत्ता और संपत्ति के बंटवारे के मामलों में नुकसान होता है।

घरेलू हिंसा: पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं, लेकिन उन्हें मदद लेने में शर्म महसूस करते हैं क्योंकि यह आमतौर पर महिलाओं के साथ जुड़ा होता है।

बलात्कार: पुरुषों के साथ भी बलात्कार हो सकता है, लेकिन इस बारे में जागरूकता कम है और पुरुषों को अक्सर शिकायत दर्ज करने में शर्म महसूस करते हैं।

शिक्षा: लड़कों को स्कूल में लड़कियों की तुलना में कम प्रदर्शन करने वाला माना जाता है, और उन्हें विशेष शिक्षा या अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने की संभावना कम होती है।

रोजगार: पुरुषों को कुछ नौकरियों के लिए महिलाओं की तुलना में कम वेतन दिया जा सकता है, और उन्हें कुछ उद्योगों में भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पुरुषों के खिलाफ भेदभाव एक जटिल मुद्दा है और इसके कई कारण हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता, सामाजिक अपेक्षाएं और कानूनों में खामियां सभी पुरुषों के खिलाफ भेदभाव में योगदान करती हैं।

पुरुषों के खिलाफ भेदभाव को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं:

जागरूकता बढ़ाना: लोगों को पुरुषों के खिलाफ भेदभाव के विभिन्न रूपों के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है।

कानूनों में सुधार: कानूनों को लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपडेट किया जाना चाहिए।

पुरुषों के लिए सहायता सेवाएं: पुरुषों को घरेलू हिंसा, बलात्कार और अन्य प्रकार के भेदभाव से निपटने में मदद करने के लिए सहायता सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

सकारात्मक पुरुष रोल मॉडल: लड़कों और पुरुषों के लिए सकारात्मक रोल मॉडल को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है जो लैंगिक समानता और सम्मान को बढ़ावा देते हैं।

पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता प्राप्त करना एक सतत प्रयास है। पुरुषों के खिलाफ भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए काम करके, हम एक अधिक न्यायपूर्ण और समान समाज बना सकते हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पुरुषों के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा जटिल और विवादास्पद है। उपरोक्त जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे कानूनी सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। यदि आप पुरुषों के खिलाफ भेदभाव का अनुभव कर रहे हैं, तो कृपया कानूनी सलाह लें या किसी भरोसेमंद मित्र या परिवार के सदस्य से संपर्क करें।

पुरुष आयोग के गठन के कई संभावित लाभ हैं:

पुरुषों के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना: पुरुष आयोग पुरुषों द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाल सकता है और सामाजिक कलंक को कम करने में मदद कर सकता है।

पुरुषों के अधिकारों की रक्षा करना: पुरुष आयोग कानूनों और नीतियों में सुधार के लिए काम कर सकता है जो पुरुषों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और उन्हें भेदभाव से बचाते हैं।

पुरुषों के लिए सहायता और सेवाएं प्रदान करना: पुरुष आयोग घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित पुरुषों के लिए सहायता और सेवाएं प्रदान कर सकता है।

पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता को बढ़ावा देना: पुरुष आयोग लैंगिक समानता के लिए एक मजबूत आवाज हो सकता है और लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने में मदद कर सकता है।

हालांकि, पुरुष आयोग के गठन के कुछ संभावित नुकसान भी हैं:

लैंगिक युद्ध को बढ़ावा देना: कुछ लोगों को चिंता है कि पुरुष आयोग लैंगिक युद्ध को बढ़ावा दे सकता है और पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन को और बढ़ा सकता है।

संसाधनों का दुरुपयोग: पुरुष आयोग महिला आयोगों से संसाधनों और धन को हटा सकता है, जो पहले से ही कम बजट वाले हैं।

पुरुषों के विशेषाधिकारों को मजबूत करना: पुरुष आयोग पुरुषों के विशेषाधिकारों को मजबूत कर सकता है और लैंगिक समानता के लिए किए गए प्रयासों को कमजोर कर सकता है।

निष्कर्ष

पुरुष आयोग एक जटिल मुद्दा है जिसके पक्ष और विपक्ष में कई तर्क हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी पहलुओं पर विचार करें और एक सटीक और न्यायसंगत निर्णय लें। यह भी महत्वपूर्ण है कि पुरुष आयोग, यदि स्थापित किया जाता है, तो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करे और सभी लिंगों के लोगों के अधिकारों की रक्षा करे। भारत सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस मुद्दे पर खुली और सभ्य बहस करें ताकि हम सभी के लिए एक न्यायसंगत समाधान निकाल सकें।

संदर्भ

1. चौधरी, ए. ए. (2017)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज के मामलों में आरोपों की पुष्टि होने तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया, 28 जुलाई, 2017
2. कुमार, ए. (2019): भारत में पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा: एक परिप्रेक्ष्य, जर्नल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द सोशल एनवायरनमेंट, 22:3, 290-296
3. कुमार, ए. (2018): भारत में पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा: एक परिप्रेक्ष्य, जर्नल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द सोशल एनवायरनमेंट, 22:3, 290-296
4. नानजप्पा, वी. (2015)। पुरुषों को भी सुरक्षा की जरूरत है: कार्यकर्ता संसद में विधेयक की मांग कर रहे हैं। वनइंडिया, 26 मई, 2015।
5. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। (2017)। भारत में अपराध 2016। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
6. कौर, एस. (2015)। महिलाओं में अपराध पंजाब राज्य के विशेष संदर्भ के साथ एक सामाजिक कानूनी अध्ययन। थीसिस, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला।